छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 15/05/2018

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2018/289/– राज्य शासन द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को समय–समय पर स्वीकृत मानदेय/वेतनमान के संबंध में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन संशोधित वेतन संरचना निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है :–

क्रमांक	विवरण	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/विशेष भत्ता
1	2	3
1.	15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव	रू. 3500–10000+1100 ग्रेड वेतन तथा रू. 1500 विशेष भत्ता
2.	15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव	रू. 5200–20200+2400 ग्रेड वेतन

2. नियम/शर्ते –

   1. यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2018 से प्रभावशील होगा।
   2. वेतन निर्धारण होने के पश्चात् राज्य शासन के शासकीय सेवकों के समान मंहगाई भत्ता देय होगा।
   3. वेतन निर्धारण उपरान्त प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी।
   4. 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिवों को स्वीकृत विशेष भत्ता, अंशदायी पेंशन, मंहगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि की गणना के लिये वेतन का भाग नहीं माना जायेगा।

3. वेतन निर्धारण संबंधी दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।
4. यह आदेश वित्त विभाग के जावक क्रमांक 2150/ब–2 कम्प्यूटर क्रमांक 22–01635, दिनांक 14.03.2018 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(तारन प्रकाश सिन्हा)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक / पंचा. / पंग्राविवि / 22 / 2018 / 290 नया रायपुर, दिनांक 15 / 05 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर उनके जावक क्रमांक 2150 / ब–2 कम्प्यूटर क्रमांक 22–01635, दिनांक 14.03.2018 के तारतम्य में सूचनार्थ।
4. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग